अनवान मफाराम बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 09 / 2025
निर्णय तारीखः— 19.09.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला—सांचौर

पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :— 09 / 2025
जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2025 / 124
अनवान

1. मफाराम पुत्र रामाजी जाति मेघवाल निवासी शिवनाथपुरा, तहसील सांचौर, जिला जालोर

प्रार्थी...........

1. राज्य सरकार, जरिये तहसीलदार (भूमिधारी)— सांचौर।

अप्रार्थी...........

प्रार्थना—पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती करने अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :— 03.07.2025

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विजयसिंह राठौड़ उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:— निर्णय :—

दिनांक :— 19.09.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है सरहद मौजा अचलपुर पटवार हल्का अचलपुर में मुझ प्रार्थी का पैतृक खातेदारी का खेत खाता सं. 138 खसरा नम्बर 448 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गै.मु.ढाणी, खसरा नम्बर 449 रकबा 6.84 हैक्टर किस्म बारानी सोयम जुमले रकबा 6.90 हैक्टर का आया हुआ है। जिसमें मुझ प्रार्थी का नाम बाबूड़ा पुत्र रामा हिस्सा 1/9 जाति—मेघवंशी, सा. देह. खातेदार दर्ज हैं। प्रार्थी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड तथा बैंक पासबुक दस्तावेज में मेरा नाम मफा राम पुत्र रामाजी दर्ज हैं। जबकि राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करते वक्त मुझ प्रार्थी का भुलवंश गलत नाम बाबूड़ा पुत्र रामा जाति—मेघवंशी दर्ज कर दिया गया। मेरा सही नाम मफा राम पुत्र रामाजी जाति—मेघवाल हैं तथा इसी अनुसार मैं अपना नाम राजस्व रेकर्ड में शुद्धि करवाना चाहता हूँ। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि मैं मेरे खातेदारी खेत सरहद मौजा अचलपुर हल्का अचलपुर के खसरा नम्बर 448 व 449 के राजस्व रेकर्ड में मेरा सही नाम मफा राम पुत्र रामाजी जाति—मेघवाल नाम की शुद्धि करवाने हेतु आदेश फरमावें।
2. प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी सं. 1 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित ।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:07:35 IST
Reason: SelfAttested

3. हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी, अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के पैतृक खातेदारी का खेत खाता सं. 138 खसरा नम्बर 448 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 449 रकबा 6.84 हैक्टर में प्रार्थी का नाम भूलवंश बाबूड़ा पुत्र रामाजी जाति मेघवंशी लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का नाम हमेशा से ही मफा राम पुत्र रामाजी जाति मेघवाल है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त खसरा नंबर में प्रार्थी का नाम बाबूड़ा पुत्र रामाजी जाति मेघवंशी से दुरूस्त कर मफा राम पुत्र रामाजी जाति मेघवाल लिखे जाने का आदेश फरमावें।

4. हमने अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी जाकर उस पर मनन किया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक, जन आधार कार्ड का अवलोकन किया, उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त तमाम दस्तावेजात् के अनुसार प्रार्थी का नाम बाबूड़ा पुत्र रामाजी जाति मेघवंशी की बजाय **मफा राम पुत्र रामाजी जाति मेघवाल** बदला जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण से निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि सरहद मौजा अचलपुर पटवार हल्का अचलपुर के खेत खाता सं. 138 खसरा नम्बर 448 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गै.मु.ढाणी, खसरा नम्बर 449 रकबा 6.84 हैक्टर किस्म बारानी सोयम जुमले रकबा 6.90 हैक्टर में दर्ज प्रार्थी का नाम बाबूड़ा पुत्र रामाजी जाति मेघवंशी की बजाय **मफा राम पुत्र रामाजी जाति मेघवाल** के नाम की राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। पालनार्थ तहसीलदार सांचौर को तहरीर जारी हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सांचौर (जालोर)

निर्णय आज दिनांक **19.09.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:07:35 IST
Reason: SelfAttested